BHUVNESHWARI
Pvt. Industrial Training Institute
Bahot, Sunder Nagar (H.P.)

INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE BAHOT, SUNDER NAGAR (H.P.) BHUVNESHWARI (PVT.)

BITI

PROSPECTUS
विवरण पुस्तिका

Welcome . . .

We congratulate you for your interest in study of the courses being offered by the "Bhuvneshwari Educational Society." I hope that this initial contact may prove to be turning point in your life. Presently there are only a few courses which are job oriented in real sense. Industrial Training Institute make a major breaks through in the industries by launching courses of one/two years duration for boys/girls having just passed out their Matriculation Examinations.

Education system in India, Particularly when it is sponsored by the private sector has become a costly affair. It may not matter to the parents if it is costly, but it matter to the parents if it is costly, but it matter both to the students and the parents when it gives no fruitful result after passing out. Every student who so ever joins the institution wants to be a self standing person in the market but often it is seen that the result are not very encouraging so far.

It is only the study of any course offered by us which could bring out a perfect technician with a firm standing in the market.

This handbook of information contains specific information's relating to different courses available with us. If you would like to discuss a possible application. Please contact our counselor or the Principal.

We look forward to help you to develop your career potential through our well designed Instructional material and practical training with in institution.

Managing Committee
Bhuvneshwari Educational Society

Special thanks . . .

Bhuvneshwari Educational Society

Bahot, Sunder Nagar (H.P.)

PROSPECTUS

Bhuvneshwari Pvt. Industrial Training Institute

(An ISO 29990-2010 Certified)

(Recognised By : NCVT & DGE&T Govt. of India Ministry of Labour
DGE & T-6/8/6/2002-tc NCVT)

Postal Address : Vill. Bahot, P.O. Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.) 175018

For Contact : 01907-267321, Mob. : 94184-67121

E-mail : bhuvneshwariinstitute@gmail.com   Website : itibhuvneshwari.org.in

"Where Dreams Come True"   PRICE : 250/- || BY POST : 300/-

INTRODUCTION

Mrs. Kalpna Sharma

We congratulate you for your interest in study of the courses being offered by the "Bhuneshwari Educational Society". This society is a non Profit making society & registered under societies Registrations Act., 1860 in the year 2001.

The vision of Bhuneshwari Educational Society "To impart Excellent Academics & Technical knowledge coupled with accurate understanding of values of the horizon of "New Developments".

The mission of Bhuvneswari Educational Society is to improve the quality of life by imparting high quality education in the field of technology.

Mrs. Kalpna Sharma
President/Chairperson

PRINCIPAL MESSAGE

Mrs. V.K. Thakur

Since 2002, as one of the pioneering institution of technical education, BITI has developed a distinct brand equity. BITI is not merely institutions; it is a 'Mission', a mission for a group of professionals, which I am proud to lead.

It is our endeavor to provide quality Education with world class facilities and infrastructure. With the world now converging into a global village, our country is poised to be one of the biggest quality manpower sources to the international market and industry. We at BITI leave no stone unturned to actively shape the future of the students.

Creating best facilities, environment and getting the best faculty for students is our sole objective.

I thank Goddess Saraswati for giving us strength and 'Her blessing's to start this huge venture in value education.

Mrs. V.K. Thakur

Principal

परिचय (Introduction)

भुवनेश्वरी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वरी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा चलाया जा रहा है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अर्न्तगत 2001 में पंजीकृत हुई तथा इसने बाहोट सुन्दरनगर में भुवनेश्वरी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला। यह प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड न. 6 के बाहोट गाँव में स्थित है यह NH-21 से एक किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों के हरे–भरे आंचल में स्वास्थ्य व अध्ययन के लिए अति उपयुक्त स्थान है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में, प्रशिक्षण, केन्द्र सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसायों में दिया जाता है। यह प्रशिक्षण DGE&T भारत सरकार तथा निदेशक तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें निम्नलिखित व्यावासायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसका विवरण इस प्रकार है।

LIST OF TRADES WITH QUALIFICATION AND DURATION

Sr. No.	Name of Trade	Eligibility	Duration	System
1.	Electrician	Matric	2 Years	Annual
2.	Mechanic Electronics	Matric	2 Years	Annual
3.	Fitter	Matric	2 Years	Annual
4.	Mechanic Motor Vehicle	Matric	2 Years	Annual
5.	Sewing Technology (Non-Engg.)	Matric	1 Year	Annual
6.	Surface Ornamentation Technique	Matric	1 Year	Annual
7.	COPA (Non-Engg.)	Matric	1 Year	Annual

प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश (Admission)

1. विभिन्न व्यवसायों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पात्र व्यक्तियों को मैरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। DGE&T नई दिल्ली के पत्र संख्या DGE&T-19 (14)/2002-CD के अनुसार 25 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित हैं परन्तु यदि महिला प्रत्याशी उपलब्ध न हो तो वह स्थान भी पुरुष प्रत्याशियों से ही भरे जायेंगे।
2. प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशियों की योग्यता (Merit) का निर्धारण, शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त कुल अंकों की प्रतिशतता पर आधारित होगा।
3. प्रवेश लेने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व ऊपरी आयु सीमा की कोई बाधा नही है। परन्तु अनुसूचित जाति, जन जाति तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष तक होगी।

आवेदन पत्र देने का विधान (Procedure for Applying)

1. प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी का आवेदन पत्र इस विवरण पुस्तिका (Prospectus) में संलगित आवेदन पत्र (Application Form) पर निर्धारित तिथि तक पूर्ण रूप से भरा हुआ एवम् आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित सम्बंधित कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा बिना प्रमाण पत्रों सहित दिया गया अथवा ठीक से न भरा गया आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा। प्रवेश लेते समय निर्धारित तिथि को प्रशिक्षणार्थी को मूल प्रमाण पत्र साथ लाने व

उपलब्ध करवाने होंगे।

2. विवरण पुस्तिका में निर्धारित आवेदन पत्र के अतिरिक्त उसकी किसी भी प्रकार से की गई कापी (फोटोस्टेट या टाईप इत्यादि) मंजूर नहीं की जायेगी।
3. आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित (Attested) प्रतियाँ साथ संलग्न करनी होंगी।
    1. जन्म तिथि के प्रमाण हेतू बोर्ड/स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।
    2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतू युनिवर्सिटी/बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।
    3. मूल निवासी होने का प्रमाण अथवा हिमाचल में कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र।
    4. जिस आरक्षित वर्ग से सम्बन्ध हो उसका प्रमाण पत्र।
    5. चरित्र प्रमाण पत्र।
    6. 7 पासपोर्ट साईज फोटो जिनमें 3 एटेस्टिड व 4 विना एटेस्टिड।
    7. आधार कार्ड।

शुल्क तथा दूसरे व्यय (Fees & Other Charges)

1. प्रवेश हेतू चुने गये प्रत्याशियों को निजी संस्थानों के लिये निर्धारित फीस तथा मनेजमैंट कमेटी द्वारा निर्धारित अन्य व्यय प्रवेश लेते समय देने होंगे तथा भविष्य में भी उन तिथियों पर देने होंगे जिन्हें प्रधानाचार्य नोटिस बोर्ड पर दर्शायेंगे। अन्यथा जुर्माना देना पड़ेगा।
2. हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड से पंजीकरण हेतू शुल्क :–
    1. दो वर्षीय कोर्स
    2. एक वर्षीय कोर्स

    } जैसा बोर्ड कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।
3. पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा NCVT की हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा होगी जिसके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा फीस देय होगी।
4. निर्धारित फीस और अन्य निधियाँ समैस्टर व वार्षिक आधार पर लिए जा रहे हैं।
5. सभी शुल्क एवं निधियाँ जमा करने की अंतिम तारीख सेमेस्टर के पहले माह (February/August) की 10 तारीख है, इसके उपरान्त माह की 25 तारीख तक 15 रूपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क लगेगा, 25 तारीख के बाद प्रशिक्षणार्थी का नाम संस्थान के हाजिरी रजिस्टर से काट दिया जायेगा।
6. उन प्रशिक्षणार्थियों (जिनका नाम शुल्क एवं निधियाँ निर्धारित समय पर जमा न कराने के कारण काटा गया हो) को पुनः प्रवेश प्रबन्धक कमेटी की अनुमति से दिया जा सकता है।

विषय पाठ्यक्रम (Course of Study)

सभी उपलब्ध विषयों के पाठ्यक्रम एन.सी.वी.टी. (N.C.V.T.) द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा प्रवेश लेने के बाद प्रत्याशियों को उपलब्ध करा दिये जायेंगे। सम्बंधित विषयों की पाठ्य पुस्तकें भी संस्थान द्वारा, छपी (Printed) कीमत पर उपलब्ध करवाई जायेंगी।

उपस्थिति एवं अवकाश (Attendance & Leave)

पाठ्यक्रमों हेतू उपस्थिति एवं अवकाश व जुर्माने इत्यादि के नियम एन.सी.वी.टी. (NCVT) द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा प्रवेश लेने के उपरान्त उस समय जो नियम एन.सी.वी.टी. द्वारा उपलब्ध होंगे या भविष्य में बदले जायेंगे वह समय–समय पर प्रशिक्षर्णार्थियों को बता दिये जाएगें।

1. **संस्थान में उपस्थिति एवं अवकाश के नियम (Attendance & Leave rules in the Institution)**

1. विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में प्रवेश के लिए 80% उपस्थिति अनिवार्य है।
2. दो दिन से अधिक अवकाश के लिए प्रधानाचार्य की अनुमति जरूरी है।
3. यदि कोई विद्यार्थी लगातार 8 कार्यदिवस अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम उपस्थिति रजिस्टर से काट दिया जाएगा। और कक्षा में दुवारा प्रवेश लेने के लिए 1000 रुपये शुल्क प्रबन्धन के दिशा निर्देश द्वारा देय होगा।
4. पांच दिन से अधिक अवकाश हेतू चिकित्सा प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
5. भगौड़े विद्यार्थियों को 50/- रुपये प्रतिदिन की दर से देना पड़ेगा। यह शुल्क कक्षा में बैठने से पहले कार्यलय में जमा करवाना पड़ेगा।

प्रशिक्षणार्थियों का पुनः प्रवेश (Re-Admission of Trainees)

लगातार 10 कार्यकारी दिवसों तक बिना अवकाश लिए अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षणार्थी का नाम हाजरी रिजिस्टर से काट दिया जायेगा। प्रशिक्षणार्थी यदि नाम काटने के 15 दिनों की अवधि के अन्दर प्रशिक्षण हेतू वापिस आना चाहे, तो उसे सम्बन्धित प्रबन्धक कमेटी या प्रधानाचार्य चाहे तो कक्षा में दोबारा दाखिल कर सकते हैं। ऐसे दोबारा दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थी को 1000/- रूपये पुनः प्रवेश शुल्क के रूप में देने होंगे परन्तु डी.जी.टी. द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी परीक्षा उपस्थिति इत्यादि से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करने पर ही समैस्टर परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

प्रशिक्षणार्थियों के लिए न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति (Min. Compulsory Attendance for The Trainees)

प्रशिक्षणार्थियों के लिए न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति के लिए नियम DGT द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाते हैं एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिए न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति के लिए DGT द्वारा निर्धारित नवीनतम (Latest) नियम ही लागू होंगे।

परीक्षा के नियम (Rules of Examination)

प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा के लिए नियम DGT द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाते हैं एवं प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा के लिए DGT द्वारा निर्धारित (Latest) नियम ही लागू होंगे।

1. उक्त बारे डी.जी.टी. द्वारा समय–समय पर जारी नवीनतम नियम लागू होंगे।

संस्थान में परीक्षा नियम (Rules of Examination in the Institution)

1. परीक्षण के दौरान प्रत्येक तिमाही के अन्त में परीक्षायें ली जाएगी। तथा तीन माह के अन्त में ली गई परीक्षा का परिणाम आन्तरिक मूल्यांकन में गण्य होगा।
2. परीक्षा परिणाम की त्रैमासिक रिर्पोट Parents को प्रेषित की जाएगी।
3. परीक्षार्थियों को आन्तरिक मूल्यांकन में कम–से–कम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

4. परीक्षार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर प्रति विषय 100/- रुपये शुल्क देना होगा।

आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment)

1. आन्तरिक मूल्यांकन के लिए तिमाही आधार पर परीक्षा ली जाएगी। नियमानुसार त्रैमासिक आंतरिक मूल्यांकन को डीजीई एण्ड टी की एमआईएस पोर्टल में चढ़ाया जाना अनिवार्य है।
2. तिमाही परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले उम्मीदवार को 100/- रूपये प्रति विषय का जुर्माना किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थी अगर गंभीर बीमारी या उसके नियंत्रण से परे किसी भी अन्य परिस्थितियों के कारण अनुपस्थित है, तो सम्बन्धित आईटीआई के प्रधानाचार्य इस तरह के प्रशिक्षणार्थी के लिए एक विशेष परीक्षा (एमआईएस पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए) आयोजित कर सकते हैं।

अनुशासन (Discipline)

1. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में व्यावहारिक नियमों का पालन करना होगा ताकि वह उन सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें जोकि उसे प्रदान की गई हैं। यह नियम केवल मात्र प्रशिक्षणार्थियों एवं उनके सहपाठियों की भलाई और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाये गये हैं इनको बिना सूचना दिये समय–समय पर बदला जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों को चाहिए की वे प्रतिदिन की सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करें। नियमों की अज्ञानता के कारण उलन्घन करने पर माफ़ नहीं किया जायेगा।
2. प्रशिक्षणार्थियों से आशा की जाती है कि वे सबसे सद–व्यवहार करें, और अपने सभी सहपाठियों के साथ सम्मानपूर्वक रहें। संस्थान के सभी कर्मचारियों को पूर्ण अधिकार है कि वे प्रशिक्षणार्थियों के गलत व्यवहार को रोकें, चाहे वे संस्थान के अन्दर हों या बाहर हों, और ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों को उनकी आज्ञा का पालन करना होगा।
3. ऊंची आवाज में बोलना और बिना उद्देश्य से घूमना, यह बात दूसरों के लिए नाराजगी तथा गड़बड़ी पैदा करने वाली होने के नाते वर्जित होगी।
4. धूम्रपान, गुटका, मदिरापान और जुआ खेलने को संस्थान की सीमा के अन्दर तथा बाहर आज्ञा नहीं होगी। यदि कोई भी प्रशिक्षणार्थी इस नियम का उलन्घन करता है तो उसे संस्थान से निकला भी जा सकता है।
5. कक्षा में देरी से आना या कक्षा से बिना अनुमति के चले जाना, उस पीरियड के लिए प्रशिक्षणार्थी की अनुपस्थिति मानी जायेगी तथा इसके लिए 10/- रूपये जुर्माना लिया जाएगा (अधिकतम 20/- रूपये प्रतिदिन)। बिना आज्ञा अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षार्थी को 15/- रूपये प्रति आधा दिवस अर्थात् Recess से पहले। 20/- रूपये प्रति दिवस (Full day) की दर से जुर्माना देना होगा।
6. किसी उपकरण से छेड़छाड़ करने या बिना आज्ञा किसी विभाग में प्रवेश करने पर उचित नहीं समझा जायेगा।
7. किसी भी प्रशिक्षणार्थी का संस्थान के कर्मचारियों पर कोई अधिकार नहीं होगा।
8. सामान, मशीनें और सब प्रकार के यंत्र, औजार और उपकरण प्रयोग के बाद उचित स्थान पर रखे जायें। अगर ये प्रयोग के समय नष्ट/खराब हो गये हों, तो उन कारणों को इंचार्ज को तुरंत ही बताना होगा। यदि यह सामान असावधानी से नष्ट/खराब हुआ हो तो यंत्र, औजार या दूसरे उपकरणों का मूल्य चुकाना होगा तथा साथ ही सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा

इस हेतू तय जुर्माना भी देना होगा।

9. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में किसी प्रशिक्षणार्थी के सामान या धन इत्यादि खो जाने या नष्ट हो जाने पर संस्थान पर कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

10. प्रशिक्षणार्थी को सभी प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए यदि संस्थान की कार्यशाला, प्रयोगशाला में लापरवाही से काम करने पर किसी प्रशिक्षणार्थी के साथ कोई दुर्घटना घट जाये तो संस्थान/विभाग की जिम्मेवारी नहीं होगी।

11. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में अपने अध्ययन का पूरा ध्यान रखना होगा। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अध्ययन कार्य संतोषजनक नहीं करेगा तो उसे दो चेतावनियाँ दी जाएगी। यदि फिर भी वह अपने अध्ययन में सुधार नहीं कर पाया तो उसे नियमानुसार संस्थान से निष्कासित कर दिया जा सकता है।

12. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी चरित्रहीन हो जाये या अपने कार्य को ध्यानपूर्वक न करे या संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों की आज्ञा का पालन न करे तो उसे प्रधानाचार्य द्वारा उचित जुर्माना किया जा सकता है (अधिकतम 100/- रूपये प्रत्येक अवसर पर) यदि प्रशिक्षणार्थी दो अवसरों के उपरान्त भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता है तो उस अवस्था में प्रधानाचार्य को उसे नियमानुसार संस्थान से निष्कासित करने का अधिकार होगा।

13. प्रवेश के समय प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 50/- रुपये पहचान पत्र बनाने के लिए देने होगें। पहचान पत्र गुम हो जानें पर प्रशिक्षणार्थी को लिखित सूचना तुरंत सम्बन्धित प्रधानाचार्य को देनी होगी, और उसे 50/- रूपये प्रति अतिरिक्त पहचान पत्र शुल्क लेकर पहचान पत्र दिया जायेगा। इसकी सूचना न देने पर या बाद में पता लगने पर प्रशिक्षाणार्थी को कड़ी चेतावनी के साथ 50/- रूपये जुर्माना एवं 50/- रूपये प्रति अतिरिक्त पहचान पत्र शुल्क लेकर पहचान पत्र दिया जायेगा।

14. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपने धनराशि स्थानीय डाक घर या बैंक में जमा करवानी चाहिए और अवश्यकतानुसार धन निकलवाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी की धनराशि के गुम या चोरी होने पर संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा।

15. संस्थान से सम्बन्धित सभी मामलों या नियमों के विषय में प्रबन्धन कमेटी व सम्बन्धित प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम व सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए मान्य होगा।

16. यदि किसी भी समय प्रधानाचार्य को पता लग जाये की अमुक प्रशिक्षणार्थी ने संस्थान में प्रवेश पाने या छात्रवृति प्राप्त करने हेतू किसी जाली प्रमाण पत्र या गलत तरीकों का प्रयोग किया है, तो उसे तत्काल प्रभाव से संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा और इसके अलावा उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। यदि अनैतिक रूप से किसी प्रशिक्षणार्थी ने छात्रवृति की राशि प्राप्त कर ली हो तो ब्याज सहित वह राशि भी वापिस करनी होगी।

17. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान किसी भी Police Case में Involved पाया गया तो संस्थान के प्रधानाचार्य, को यह पूर्ण अधिकार होगा कि सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी का प्रवेश तत्क्षण रद्द कर दें तथा ऐसे प्रशिक्षणार्थी को पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

18. प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्थान में मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है, उलन्घन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों से पहली बार रूपये 50/- का जुर्माना लिया जायेगा, दूसरी बार 75/- तथा अंतिम बार रूपये 100/- का जुर्माना एवं उसका मोबाइल जब्त कर लिया जायेगा। जब्त किया गया मोबाइल प्रधानाचार्य द्वारा सेफ कस्टडी में रखा जाएगा एवं प्रशिक्षणार्थी की

प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर/छोड़ने पर वापिस कर दिया जाएगा।

19.रैगिंग कानूनी तौर पर पूरी तरह वर्जित है।

नोट : प्रत्येक प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी को HP Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Act-2009 से सम्बन्धित अंडरटेकिंग संस्थान में देनें पर ही प्रवेश दिया जायेगा। कृपया इसे संस्थान को Join करते समय जमा करवायें।

Ragging, inside/outside the institution, is an offence. As per the Himachal Pradesh Educational Institution (Prohibition of Ragging) Act-2009, Every offence under this actt shall be cognizable, non-bailable and compoundable with the permission of Hon'ble court. If any student is found indulging in ragging activities directly or indirectly, strict action will be taken against him/her as per law.

वर्दी (Uniform)

वर्दी के सम्बन्ध में प्रशिक्षणार्थियों को निम्नलिखित आदेशों का पालन करना अनिवार्य हैं। आदेशों का पालन न करने पर प्रतिदिन 20 रूपये जुर्माना होगा।

1. लड़कियों को जामुनी रंग की कमीज, सफेद रंग की सलवार व सफेद दुपटा पहनना होगा।
2. लड़कों को आसमानी नीले रंग की कमीज व डार्क ग्रे रंग की पैंट पहननी होगी।
3. मोटर मकैनिक व्हीकल के विद्यार्थियों को मील्ट्री रंग की पैंट, कमीज पहननी होगी।
4. प्रशिक्षणार्थी (इंजीनियरिंग व्यवसाय) को कार्यशालाओं में काम करते वक्त गहरे हरे रंग का एप्रन पहनाना होगा।
5. चप्पल, ढीली एवं सिंथेटिक फाइबर से बनी पोशाक कार्यशाला में पहनने की अनुमति नहीं है। कार्यशाला इंचार्ज प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह से ड्रैस्ड उम्मीदवार को कार्यशाला में प्रवेश से रोक सकते हैं।
6. बिना निर्धारित पोशाक पहने और बिना पहचान पत्र के संस्थान में भाग लेने पर प्रशिक्षणार्थी को 20/- रूपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वह संस्थान में लगातार अनुशासनहीनता करना जारी रखता है तो उसे प्रधानाचार्य द्वारा संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है।

नोट : सर्दियों में सभी विद्यार्थियों को काले रंग की स्वेटर व काले रंग के जूते पहनना अनिवार्य है।

(Special Instructions for Students seeking admission)

1. Application for admission to a course would be made on the prescribed form available along with the prospectus provide by the institution.
2. Students as well as their guardians are request to study the prospectus carefully, before registration of their application. Students should also ensure that they will complete the course, any request for discontinuing the course will not be entertained under any circumstances.
3. Incomplete application will not accompained.
4. Fee must be paid on time i.e. before 10th of every month otherwise late fee fine will be paid.

5. Students are advised to go through the prospectus carefully because after remittance of fee, it is not refundable, non transferable and not adjustable under any circumstances.
6. After selecting the branch no concession will be given to change it.
7. In case of doubt of any kind or for any detailed informations please contact administrative office of the institute. After getting admission no claim will be entertained. The decision to the board of director shall be final.
8. Right of admission are reserved with the NCVT. NCVT authorities may refuse admission to any candidate if feel so, without any cause/or prior notice.
9. All disputes are subject to jurisdiction of Sunder Nagar (H.P.) only.

(Rules, Regulation/By Laws of the Institute)

1. Every student is required to attend regular classes as notified for lecture and practical. Any student who is late may not be allowed to enter the lecture or practical hall.
2. Student must leave the station without the permisssion of the Principal/Director.
3. Any student breaking or damage any institute property shall be required to pay the cost to ward repair or replacement. In case of willl full damage he/she be punished as the Director may deem fit.
4. Students are required to observe orders and quietness all the time in the institution.
5. Students are prohibited to smoke and drink in the Institution area.
6. The decision of the Director/Principal in all cases shall be final.
7. Mobile Phone are not allowed in institute/Class Room strict action may be taken against defaulter students.
8. Do not keep any jewellery, valuable articals or large some of money in your bags thieft or loss, the institute will not responsible at all.
10. No student will allowed to enter the institute after 9.30 a.m. .
11. The institute shall obeserve all gazetted holidays as observe by Central Govt. and 6 days week.
12. Service diciplinary proceeding will be taken against the student who will be found involved in immoral conduct in or outside the institute.
13. All the courses offered are vocational and job oriented courses. Courses are valid for employment. But institute does not give job guarantee as it depends fully upon the appointing authority to select or reject any candidate what so ever the case may be.

14. Students shall not be allowed to take part in any kind of strike union etc. Any violation may be result with restication from the college and the final decision of the management shall be final.

15. Ragging is strictly banned as per the order of Hon'ble Supreme Court of India.

16. Students will not allowed without dress. Otherwise they will fired.

अति आवश्यक सूचना (Information)

1. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतू आवेदन की अंतिम तिथि प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों अथवा सूचना पत्रों द्वारा अलग से प्रकाशित की जायेगी।
2. प्रत्याशी आवेदन पत्र भरने से पहले विवरण पुस्तिका का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें।
3. अधूरा भरा हुआ आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।
4. सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियाँ सत्यापित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
5. प्रवेश लेने के समय मूल प्रमाण पत्रों को साथ लायें।
6. आरक्षित वर्ग के प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा दिये गये हों।
7. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतू न्यूनतम प्रवेश आयु सीमा 14 वर्ष और अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है।

BHUVNESHWARI PVT. ITI

Where Dreams Come True . . .

B H U V N E S H W A R I

PVT. INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE

BAHOT, SUNDER NAGAR, DISTT. MANDI (H.P.)

(An ISO 29990-2010 Certified)

(Recognised By : NCVT & DGE & T Govt. of India Ministry of Labour DGE & T-6/8/6/2002-tc NCVT)

Tel : 01907-267321, Mob. : 94184-67121

E-mail : bhuvneshwariinstitute@gmail.com **Website : itibhuvneshwari.org**